INDIA दस रुपये TEN RUPEES

भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

(109)

समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.) 10

प्र०क्र० - निगरानी - 892-IV/2003

आवेदक :- 1. धनश्याम दास आत्मज जुगल किशोर गोस्वामी
2. भुवनेश गोस्वामी आत्मज धनश्याम दास.
3. कमलेश गोस्वामी आत्मज धनश्याम दास.
सभी निवासी-सौरभ कालौनी, चांदबड़, भोपाल. म.प्र.

दिनांक 10.6.03 को जबलपुर कैंप पर श्री हाल सिंह अधिवक्ता आवे० द्वारा प्रस्तुत।

10-6-03

विरुद्ध

अनावेदक :- म० प्र० शासन,

आवेदन पत्र धारा 8 सहपठित धारा 32 म. प्र. भू. राजस्व संहिता.

आवेदक निम्न कथन कर प्रार्थना करता है कि -

1. यह कि, ग्राम करमेता प. ह. नं. 26, नंबर बंदोबस्त - 497, तहसील व जिला जबलपुर की भूमि ख० नं० 254, रकबा 1.269हे. भूमि पुत्र आत्मज ... , मालिक - काबिज एवं भूमि स्वामी है। जिसके संबंध में उसने सक्षम अधिकारी, अर्बन लैण्ड सीलिंग के समक्ष रिटर्न प्रस्तुत की जिसके रि० प्र० क्र० - 82 अ / 90 (ब - 9) 78-79 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई।

2. यह कि, मौजा करमेता प. ह. नं. - 26, नंबर बंदोबस्त- 497, के खसरा नंबर 257 मे से 16,800 वर्गफुट. का भू० खण्ड. पुरुषोत्तम दास मरेले ने भूमि स्वामी गोविंद प्रसाद आत्मज हलकूराम चौबे से पंजीकृत बैनामा दिनांक - 22.5.68 को क्रय किया इसी प्रकार लक्ष्मी प्रसाद इन्दू रख्या ने भूमि स्वामी गोविंद चौबे से खसरा नंबर - 257 मे से 18834 वर्ग फुट. भू खण्ड पंजीकृत बैनामा दिनांक - 4.3.68 के द्वारा क्रय किया। तदानुसार क्रेता गण क्रय भूमि के मालिक

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक - विविध 892-तीन/03 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-7-16	प्रकरण का अवलोकन किया । इस प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 25-6-03 को आदेश पारित किया गया था । बाद में यह तथ्य आने पर कि यह प्रकरण नगर भूमि सीमा अधिनियम, 1976 का है, जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मंडल को नहीं है, अध्यक्ष राजस्व मंडल के आदेश दिनांक 3-4-12 के द्वारा प्रकरण को स्वमेव पुनरावलोकन में लिया गया तथा आवेदकगण को सूचनापत्र भेजे गये हैं, किंतु उनकी ओर से कोइ उपस्थित नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें प्रकरण में अपना पक्ष रखने में कोई रूचि नहीं है । दर्शित परिस्थिति में इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में पारित क्षेत्राधिकार रहित आदेश दिनांक 25-6-2003 निरस्त किया जाता है । 2/ उभयपक्ष सूचित हों तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । सदस्य	